



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032026-270789  
CG-DL-E-10032026-270789

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1172]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2026/फाल्गुन 18, 1947

No. 1172]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2026/PHALGUNA 18, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2026

**का.आ. 1224(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के वाई . एस . आर . (कडपा) जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 167बी के कि.मी. 0+000 से कि.मी.58+635 (माइदुकुर से सिंगारायकोंडा सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रभागीय राजस्वा अधिकारी, बडवेल वाई . एस . आर . (कडपा) जिले को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

और इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के वाई . एस . आर . (कडपा) जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 167बी के कि.मी. 0+000 से कि.मी. 58+635 (माइदुकुर से सिंगारायकोंडा सेक्शन ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: वाई एस आर (कडपा)		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बी. मत्तम					
गांव का नाम: मल्लेपल्ली					
1	153	निजी	ड्राई	0.0075 (एकर)	0.0030352
2	154A	निजी	ड्राई	0.005 (एकर)	0.0020235
3	156A	निजी	ड्राई	0.005 (एकर)	0.0020235
4	157-2A,157-2B,157-2C	सरकारी	पोराम्बोके	0.03 (एकर)	0.0121408
5	158A	सरकारी	पोराम्बोके	0.0075 (एकर)	0.0030352
6	470-1	निजी	ड्राई	0.08 (एकर)	0.0323756
7	497-1	सरकारी	पोराम्बोके	0.04 (एकर)	0.0161878
8	54-B1	निजी	ड्राई	0.035 (एकर)	0.0141643
9	69-A	निजी	ड्राई	0.02 (एकर)	0.0080939
10	70A	निजी	ड्राई	0.01 (एकर)	0.0040469
तालुक का नाम: श्री अवधूता कासीनयना					
गांव का नाम: इट्टुगुल्लापाडु					
11	1134/2	निजी	ड्राई	0.11 (एकर)	0.0445164
12	1217A/3	सरकारी	डीकेटी	0.02 (एकर)	0.0080939
13	1243	सरकारी	पोराम्बोके	0.01 (एकर)	0.0040469
गांव का नाम: वंकमारि					
14	114/17A	निजी	आई ड्राई	0.12 (एकर)	0.0485633
15	114/18A	निजी	आई ड्राई	0.12 (एकर)	0.0485633
16	115/8A	निजी	ड्राई	0.09 (एकर)	0.0364225
17	94/1	सरकारी	डीकेटी	0.14 (एकर)	0.0566572
18	95/6	सरकारी	डीकेटी	0.06 (एकर)	0.0242817
तालुक का नाम: पोरुममिला					
गांव का नाम: कवालाकुन्तला					
19	234	निजी	ड्राई	0.04 (एकर)	0.0161878
गांव का नाम: चेलोपल्ले					
20	1271	निजी	ड्राई	0.08 (एकर)	0.0323756

21	1302	निजी	ड्राई	0.23 (एकर)	0.0930797
22	1326	निजी	ड्राई	0.07 (एकर)	0.0283286
23	1532	निजी	ड्राई	0.02 (एकर)	0.0080939
24	653-1	निजी	ड्राई	0.2 (एकर)	0.0809389
25	663-1	निजी	ड्राई	0.08 (एकर)	0.0323756
26	665-1	सरकारी	डीकेटी	0.03 (एकर)	0.0121408
27	667-1	सरकारी	डीकेटी	0.1 (एकर)	0.0404695
28	668-1	सरकारी	डीकेटी	0.04 (एकर)	0.0161878
<b>गांव का नाम: रंगासमुद्रम:</b>					
29	122-2	सरकारी	पोराम्बोके	0.1 (एकर)	0.0404695
30	1306	सरकारी	डीकेटी	0.58 (एकर)	0.2347228
31	59-1	निजी	ड्राई	0.2 (एकर)	0.0809389
32	59-3	निजी	ड्राई	0.24 (एकर)	0.0971267
33	60-1	निजी	ड्राई	0.25 (एकर)	0.1011736
34	60-5	निजी	ड्राई	0.75 (एकर)	0.3035208
35	63-1	निजी	ड्राई	0.24 (एकर)	0.0971267
36	63-3	निजी	ड्राई	0.13 (एकर)	0.0526103
37	65-2	निजी	ड्राई	0.06 (एकर)	0.0242817
38	66-1	निजी	ड्राई	0.26 (एकर)	0.1052206
39	67	निजी	ड्राई	0.02 (एकर)	0.0080939
40	68-3	निजी	ड्राई	0.1000001 (एकर)	0.0404695
41	68-7	निजी	ड्राई	0.07 (एकर)	0.0283286
<b>गांव का नाम: पुलिवेडू</b>					
42	213	निजी	ड्राई	0.05 (एकर)	0.0202347
<b>Total</b>					<b>1.9627684</b>

[फा. सं. RW/NH-12011/14/2017-AP/P-7/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th March, 2026

**S.O. 1224(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building widening, two/four lane with paved shoulders etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.167B in the stretch of land from Km.0+000 to Km.58+635 (Mydukur to Singarayakonda section) in Y.S.R. Kadapa District in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **The REVENUE DIVISIONAL OFFICER, Badvel** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

### SCHEDULE

**Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in the stretch of land from Km. 0+000 to Km. 58+635 (Mydukur to Singarayakonda section) of NH No.167B in the district of Y . S . R . (Kadapa) in the state of ANDHRA PRADESH**

State: ANDHRA PRADESH			District: Y . S . R . (Kadapa)		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: B. Mattam</b>					
<b>Village: Mallepalli</b>					
1	153	Private	Dry	0.0075 (Acre)	0.0030352
2	154A	Private	Dry	0.005 (Acre)	0.0020235
3	156A	Private	Dry	0.005 (Acre)	0.0020235
4	157-2A,157-2B,157-2C	Government	PORAMBOKE	0.03 (Acre)	0.0121408
5	158A	Government	PORAMBOKE	0.0075 (Acre)	0.0030352
6	470-1	Private	DRY	0.08 (Acre)	0.0323756
7	497-1	Government	PORAMBOKE	0.04 (Acre)	0.0161878
8	54-B1	Private	Dry	0.035 (Acre)	0.0141643
9	69-A	Private	DRY	0.02 (Acre)	0.0080939
10	70A	Private	Dry	0.01 (Acre)	0.0040469
<b>Taluk: Sri Avadhootha Kasinayana</b>					
<b>Village: Itugullapadu</b>					
11	1134/2	Private	Dry	0.11 (Acre)	0.0445164
12	1217A/3	Government	DKT	0.02 (Acre)	0.0080939
13	1243	Government	PORAMBOKE	0.01 (Acre)	0.0040469
<b>Village: Vankamarri</b>					
14	114/17A	Private	I-DRY	0.12 (Acre)	0.0485633
15	114/18A	Private	I-DRY	0.12 (Acre)	0.0485633
16	115/8A	Private	DRY	0.09 (Acre)	0.0364225
17	94/1	Government	DKT	0.14 (Acre)	0.0566572
18	95/6	Government	DKT	0.06 (Acre)	0.0242817
<b>Taluk: Porumamilla</b>					
<b>Village: Kavalakuntla</b>					
19	234	Private	DRY	0.04 (Acre)	0.0161878
<b>Village: Cherlopalle</b>					
20	1271	Private	DRY	0.08 (Acre)	0.0323756
21	1302	Private	DRY	0.23 (Acre)	0.0930797

22	1326	Private	DRY	0.07 (Acre)	0.0283286
23	1532	Private	DRY	0.02 (Acre)	0.0080939
24	653-1	Private	DRY	0.2 (Acre)	0.0809389
25	663-1	Private	Dry	0.08 (Acre)	0.0323756
26	665-1	Government	DKT	0.03 (Acre)	0.0121408
27	667-1	Government	DKT	0.1 (Acre)	0.0404695
28	668-1	Government	DKT	0.04 (Acre)	0.0161878
<b>Village: Ranga Samudram</b>					
29	122-2	Government	PORAMBOKE	0.1 (Acre)	0.0404695
30	1306	Government	DKT	0.58 (Acre)	0.2347228
31	59-1	Private	DRY	0.2 (Acre)	0.0809389
32	59-3	Private	DRY	0.24 (Acre)	0.0971267
33	60-1	Private	Dry	0.25 (Acre)	0.1011736
34	60-5	Private	DRY	0.75 (Acre)	0.3035208
35	63-1	Private	DRY	0.24 (Acre)	0.0971267
36	63-3	Private	DRY	0.13 (Acre)	0.0526103
37	65-2	Private	DRY	0.06 (Acre)	0.0242817
38	66-1	Private	DRY	0.26 (Acre)	0.1052206
39	67	Private	DRY	0.02 (Acre)	0.0080939
40	68-3	Private	DRY	0.1000001 (Acre)	0.0404695
41	68-7	Private	DRY	0.07 (Acre)	0.0283286
<b>Village: Pulivedu</b>					
42	213	Private	DRY	0.05 (Acre)	0.0202347
<b>Total</b>					<b>1.9627684</b>

[F. No. RW/NH-12011/14/2017-AP/P-7/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director